यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, बैजरों मुख्यालय सतपुली (पौडी)** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, बैजरों मुख्यालय सतपुली (पौडी)** के माह 06/2015 से 03/2018 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0एस0 राणा, श्री देवेन्द्र दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री पवन कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 31.05.2018 से 07.06.2018 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रदीप कुमार मोर्या एवं मनीष श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनॉक 25.06.2015 से 02.07.2015 तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 08/2012 से 05/2015 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2015 से 03/2018 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र :**

   इकाई के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अनुरुप 250 से अधिक जनसंख्या वाले असंयोजित बसावटों के संयोजन हेतु कोर नेटवर्क के अनुसार प्रस्ताव प्रेषित कर स्वीकृति के सापेक्ष मोटर मार्ग निर्माण से सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पादित किए जाते हैं। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र जनपद पौडी गढवाल के तीन विकास खण्डों क्रमशः बीरोंखाल, थलीसैंण एवं नैनीडाण्डा हैं, जिनमें ग्रामीण मोटर मार्गों का निर्माण एवं अनुरक्षण किया जाता है।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है :

(` लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	–	–	1338.09	1331.59	129.66	114.10	–	6.5	–	15.56
2016–17	–	–	1270.53	1181.75	143.45	109.24	–	88.78	–	34.21
2017–18	–	–	1086.12	985.06	120.76	117.71	–	101.06	–	3.05

नोट :– बचत की धनराशि यू0आर0आर0डी0ए0 एवं शासन को समर्पित की गई।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् है :

(` लाख मे)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2015–16	पी0एम0जी0एस0वाई0	–	1338.25	1322.80	–	15.45
2016–17		–	1245.58	1161.23	–	84.35
2017–18		–	1066.05	968.32	–	97.73

नोट :– बचत की धनराशि यू0आर0आर0डी0ए0 को समर्पित की गई।

(iii) इकाई को बजट आबंटन प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत अनुदान संख्या 019 लेखाशीर्षक 2515 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्राप्त होता है। गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "ब" श्रेणी की है। इकाई का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् है:

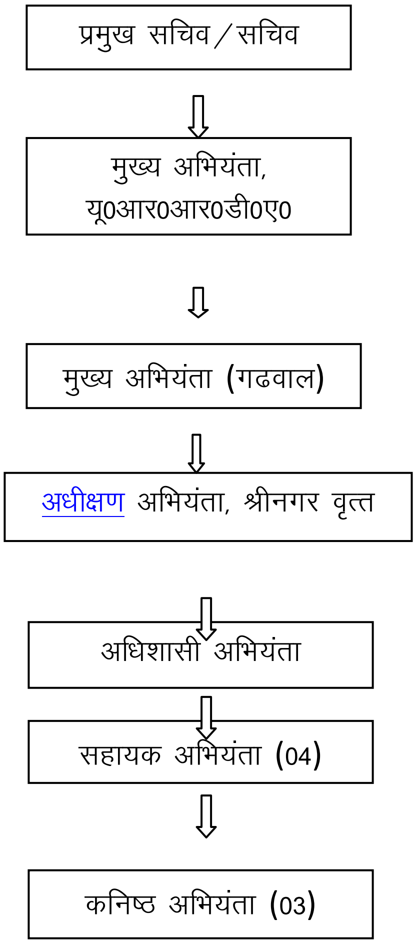

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, बैजरों मुख्यालय सतपुली (पौडी)** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, बैजरों मुख्यालय सतपुली (पौडी)** की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2016 एवं मार्च 2017 को विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया। इकाई में संचालित निर्माण कार्यों में से 07 निर्माण कार्यों (पूर्ण–05 एवं प्रगतिरत–02) का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन माह 03/2018 तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में मार्च 2017 तक का निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्ववार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र–संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी नहीं की गई।

5. फार्म 51 माह 03/2018 तक महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत् हैः–

भाग प्रथम : शून्य

भाग द्वितीय : शून्य

6. खण्ड के उचंत लेखों के अवशेष के माह 03/2018 के अन्त में : शून्य

7. विगत लेखापरीक्षा से अब तक कोई खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से सम्बद्ध नहीं रहे।

भाग–II 'अ'

प्रस्तर–1: आई0आर0सी0 विशिष्टियों के विपरीत जियोमैट्रिक डिजाईन में कैरेज–वे की चौडाई अधिक किए जाने से रु0 69.76 लाख का परिहार्य व्यय।

आई0आर0सी0 एस0पी0–20–2002 के प्रस्तर 2.6.4 के अनुसार यदि किसी लिंक (dead end) मोटर मार्ग में प्रति दिन 100 से अधिक यातायात वाहन हो तो यातायात (carriage way) हेतु पक्की सड़क की चौडाई 3.75 मी0 तथा 100 से कम होने पर चौडाई 3.00 मी0 होनी चाहिए। इस हेतु निर्धारित विधि (formula) के आधार पर गणना कर वार्षिक औसतन दैनिक यातायात (ए0ए0डी0टी0) निकाला जाता है तथा तद्नुसार प्रत्येक मोटर मार्ग में कैरेज–वे हेतु सड़क की चौडाई का निर्धारण किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जडाऊखण्ड से किनाथ मल्ला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु फेस–XI में रु0 666.28 लाख (निर्माण : रु0 617.24 लाख तथा अनुरक्षण : रु0 49.04 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या पी– 17024 / 27 / 2012–आर0सी0 (पार्ट) दिनॉक 31.07.2013 के माध्यम से 12.00 किमी0 लम्बाई हेतु प्रदान की गई। मुख्य अभियंता (स्तर–2), पी0एम0जी0एस0वाई0, देहरादून द्वारा उक्त स्वीकृति के सापेक्ष रु0 645.33 लाख (निर्माणः रु0 596.29 लाख तथा अनुरक्षण : रु0 49.04 लाख) की प्राविधिक स्वीकृति 11.60 किमी0 लम्बाई हेतु प्रदान की गई (03.09. 2014)। मोटर मार्ग निर्माण हेतु मै0 रायबरेली कन्स्ट्रसन कम्पनी, देहरादून के साथ रु0 591.61 लाख (निर्माण : रु0 573.73 लाख एवं अनुरक्षण : रु0 17.88 लाख) हेतु अनुबन्ध संख्या 92 / एस0ई0– पी0एम0जी0एस0वाई0, श्रीनगर दिनॉक 05.12.2014 गठित किया गया। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण होने की तिथियॉ क्रमशः 05.12.2014 एवं 04.06.2016 निर्धारित थी, परन्तु 10वें चालू बिल में रु0 482.70 लाख व्यय के साथ कार्य का अन्तिमीकरण किया जाना अवशेष है।

अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, बैजरों मुख्यालय सतपुली (पौडी) के निर्माण कार्यो के लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि लिंक मार्ग जडाऊखण्ड से किनाथ मल्ला मोटर मार्ग में प्रति दिन ए0ए0डी0टी0 की संख्या 79 होने पर भी पक्की सड़क की चौडाई 3.75 मी0 प्रावधानित एवं सम्पादित की गई, जबकि विशिष्टियों के अनुसार लिंक मार्ग में प्रति दिन 100 से कम मोटर वाहनों का यातायात घनत्व होने पर पक्की सड़क की चौडाई 3.00 मी0 होनी चाहिए थी। इसप्रकार, मानकों से अधिक 0.75 मी0 चौडाई में ग्रेनुलर सब–बेस, डब्ल्यू0बी0एम0 एवं बिटुमिन (पी0सी0) कार्य किए जाने पर रु0 69.76 लाख का परिहार्य व्यय किया गया। अधिक चौडाई में किए गये कार्य पर परिहार्य व्यय का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	मद का नाम	मार्ग की लम्बाई (मी0)	विशिष्टियों के अनुसार सडक की चौडाई (मी0)	सम्पादित सडक की चौडाई (मी0)	अधिक चौडाई	मात्रा	अतिरिक्त कर्व (10%)	पासिंग स्थल	कुल मात्रा	अनुबन्धित /देयक दर	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	जी0एस0बी0	11600.00	3.00	3.75	0.75	1957.50[1]	195.75	177.19[2]	2330.44	1020.00	2377048.80
2.	जी–3	11600.00	3.00	3.75	0.75	652.50[3]	65.25	59.06[4]	776.81	1400.00	1087534.00
3.	प्राईमर कोट	11600.00	3.00	3.75	0.75	8700.00[5]	870.00	787.50[6]	10357.50	40.00	414300.00
4.	टैक कोट	11600.00	3.00	3.75	0.75	8700.00	870.00	787.50	10357.50	14.00	145005.00
5.	प्रीमिक्स कारपेट	11600.00	3.00	3.75	0.75	8700.00	870.00	787.50	10357.50	195.00	2019712.50
6.	सील कोट	11600.00	3.00	3.75	0.75	8700.00	870.00	787.50	10357.50	90.00	932175.00
	योगः–										**6975775.30**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने अपने उत्तर में बताया कि मार्ग में कैरेज–वे की चौडाई यू0आर0आर0डी0ए0 द्वारा नियुक्त सलाहकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में प्रावधानित एवं स्वीकृत चौडाई के आधार पर सम्पादित की गई, जो कि वार्षिक दैनिक यातायात के आधार पर लिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आई0आर0सी0 एस0पी0–20–2002 के प्रस्तर 2.6.4 एवं एन0आर0आर0डी0ए0 के पत्रांक दिनॉक 13.10.2010 के अनुसार यदि किसी लिंक (dead end) मोटर मार्ग में प्रति दिन 100 से कम यातायात वाहन हो तो यातायात (carriage way) हेतु पक्की सड़क की चौडाई 3.00 मी0 होनी चाहिए थी।

अतः आई0आर0सी0 विशिष्टियों के विपरीत जियोमैट्रिक डिजाईन में कैरेज–वे की चौडाई अधिक किए जाने से रु0 69.76 लाख के परिहार्य व्यय का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

[1] **GSB** = Length x width x height i.e. 11600m x 0.75m x 0.225m = 1957.50 cum.
Passing place for PC = Total No. of passing place x excess width i.e. 30x35x0.75 = 787.50 sqm.

[2] **Passing place for GSB** = Total No. of passing place x passing place length x excess width x height i.e. 30x35x0.75x0.225 = 177.19 cum.

[3] **G3** = Length x width x height i.e. 11600m x 0.75m x 0.075m = 652.50 cum.

[4] **Passing place for G3** = Total No. of passing place x passing place length x excess width x height i.e. 30x35x0.75x0.075 = 59.06 cum

[5] **PC** (Primer coat, Tack coat, Premix Carpet & Seal coat) : 11600m x 0.75m = 8700.00 sqm.

[6] **Passing place for PC** = Total No. of passing place x excess width i.e. 30x35x0.75 = 787.50 sqm.

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1: प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व अनुबन्ध गठित किए जाने के परिणामस्वरुप रु0 48.53 लाख का परिहार्य व्यय।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा–निर्देशों के पैरा 11.1 के अनुसार परियोजना प्रस्तावों की स्वीकृति और उनकी तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लेने के बाद निष्पादन एजेंसी निविदाऐं आमंत्रित करेगी। सभी परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए निविदा की सुव्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्टेज–।। के 03 मोटर मार्गो क्रमशः जडाऊखण्ड से कोचियार, डोडियाखाल से पटोटिया एवं जडाऊखण्ड से किनाथ मल्ला मोटर मार्गो के निर्माण हेतु रु0 1111.67 लाख[7] की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई (31.07.2013), जिसकी प्राविधिक स्वीकृति रु0 1077.53 लाख[8] सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान की गई (27.02.2014, 26.07.2014 एवं 03.09.2014)। मोटर मार्गों का विस्तृत विवरण संलग्नक–क में दिया गया है।

अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, बैजरों मुख्यालय सतपुली (पौडी) के उक्त निर्माण कार्यो के लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि तीनों मोटर मार्गो में निविदा तकनीकी स्वीकृति से पूर्व ही आमंत्रित की गई थी तथा ठेकेदारों का चयन भी किया जा चुका था, जबकि नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् ही निविदा आमंत्रित कर न्यूनतम बोलीदाता का चयन कर अनुबन्ध गठित किया जाना चाहिए था। तकनीकी स्वीकृति से पूर्व निविदा किए जाने का परिणाम यह हुआ कि बिटुमिन हेतु जिन दरों को निविदा हेतु शिड्यूल "ब" में रखा गया वे दरें तकनीकी स्वीकृति से अधिक थी तथा उन अधिक दरों के आधार पर ही निविदा में ठेकेदारों द्वारा दरें दी गई। यदि ये दरें तकनीकी स्वीकृति की दरों के आधार पर होती एवं उन्हीं दरों पर ठेकेदारों द्वारा बोली भी लगाई जाती तो भी रु0 48.53 लाख के परिहार्य व्यय से बचा जा सकता था। इसप्रकार, प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व निविदा आमंत्रित कर अनुबन्ध गठित किए जाने के परिणामस्वरुप रु0 48.53 लाख का परिहार्य व्यय भुगतान किया गया, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत् हैः–

---

[7] जडाऊखण्ड से कोचियार : रु0 186.39 लाख (निर्माण : रु0 174.13 लाख तथा अनुरक्षण : रु0 12.26 लाख), डोडियाखाल से पटोटिया : रु0 259.00 लाख (निर्माण : रु0 241.66 लाख तथा अनुरक्षण : रु0 17.34 लाख), जडाऊखण्ड से किनाथ मल्ला : रु0 666.28 लाख (निर्माण : रु0 617.24 लाख तथा अनुरक्षण : रु0 49.04 लाख)।

[8] जडाऊखण्ड से कोचियार : रु0 173.21 लाख (निर्माण : रु0 160.95 लाख तथा अनुरक्षण : रु0 12.26 लाख), डोडियाखाल से पटोटिया : रु0 258.99 लाख (निर्माण : रु0 241.65 लाख तथा अनुरक्षण : रु0 17.34 लाख), जडाऊखण्ड से किनाथ मल्ला : रु0 645.33 लाख (निर्माण : रु0 596.29 लाख तथा अनुरक्षण : रु0 49.04 लाख)।

क्र0 सं0	मद का नाम	प्राविधिक स्वीकृति की दर	निविदा हेतु शिड्यूल "ब" की दर	न्यूनतम निविदाकर्ता की दर	शिड्यूल "ब" की दर में अन्तर (4-3)	निविदाकर्ता की दर में अन्तर (5-3)	सम्पादित मात्रा (वर्गमी0)	अधिक भुगतान (7x8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क. जडाऊखण्ड से कोचियार : निविदा की तिथि : 17.06.2013 एवं प्राविधिक स्वीकृति की तिथि : 27.02.2014								
1.	टैक कोट	11.20	15.30	15.00	4.10	3.80	11781.37	44769.21
2.	प्रीमिक्स कारपेट	148.90	197.56	185.00	48.66	36.10	11781.37	425307.46
3.	सीलकोट	68.60	92.83	80.00	24.23	11.40	11781.37	134307.62
	योग :—							**604384.29**
ख. डोडियाखाल से पटोटिया : निविदा की तिथि : 04.01.2014 एवं प्राविधिक स्वीकृति की तिथि : 26.07.2014								
1.	प्राईमर कोट	36.80	44.12	40.00	7.30	3.20	17779.85	56895.52
2.	टैक कोट	11.20	15.24	13.00	4.04	1.80	17779.85	32003.73
3.	प्रीमिक्स कारपेट	148.90	193.99	175.00	45.09	26.10	17779.85	464054.09
4.	सीलकोट	68.60	91.54	85.00	22.94	16.40	17779.85	291589.54
	योग :—							**844542.88**
ग. जडाऊखण्ड से किनाथ मल्ला : निविदा की तिथि : 04.01.2014 एवं प्राविधिक स्वीकृति की तिथि : 03.09.2014								
1.	प्राईमर कोट	36.80	44.80	40.00	8.00	3.20	46313.57	148203.42
2.	टैक कोट	11.20	15.46	14.00	4.26	2.80	46313.57	129678.00
3.	प्रीमिक्स कारपेट	148.90	208.27	195.00	59.37	46.10	46313.57	2135055.58
4.	सीलकोट	68.60	96.60	90.00	28.00	21.40	46313.57	991110.40
	योग :—							**3404047.40**
	महायोग :							**4852974.57**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना में मोटर मार्गों के निर्माण हेतु एक समय–सीमा निर्धारित है। निविदा प्रक्रिया में लगने वाले समय से बचने हेतु निविदाऐं मुख्य अभियंता स्तर से आमंत्रित की गई, ताकि निर्माण कार्य समय से पूर्ण हो सके। प्राविधिक स्वीकृति की दरों से उच्च दरों पर भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया कि पूर्व में आमंत्रित शिड्यूल "ब" में बिटुमिन की दरों में प्राविधिक

स्वीकृति की दरों से अधिक थी, जिसकी स्वीकृति निविदा समिति द्वारा अनुमोदित की गई थी तथा उसी के अनुरुप ठेकेदारों को भुगतान किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के दिशा–निर्देशों के पैरा 11.1 के अनुसार परियोजना प्रस्तावों की स्वीकृति और उनकी प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लेने के बाद ही निविदाऐं आमंत्रित की जानी चाहिए थी एवं प्राविधिक स्वीकृति में निर्धारित दरों पर ही निविदा आमंत्रित कर निविदा में आई दरों पर ही भुगतान किया जाना चाहिए था।

अतः प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व अनुबन्ध गठित किए जाने के परिणामस्वरुप रु0 48.53 लाख के अधिक भुगतान का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2 निर्देशिका के विपरीत कार्य सम्पादित किए जाने पर रु0 18.43 लाख का व्यय।

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के निर्देशिका प्रस्तर 8.5 (vi) के अनुसार पहाडी राज्यों में निर्माण कार्य के आकलन दो भागों में तैयार किए जाएंगे। पहले चरण में फॉरमेशन कटिंग, ढाल स्थिरीकरण, बचाव कार्य और निकासी कार्य तथा द्वितीय चरण में पेंवमेंन्ट के कार्य जैसे ग्रेनुलर सब–बेस, डब्ल्यू0बी0एम0 सतह और बिटूमिन की सतह बिछाने का कार्य सम्मिलित किया जाएगा।

अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0 वाई0, बैजरों मुख्यालय सतपुली (पौडी) के सिमडी से काण्डा मल्ला एवं डुंगलीकोट से डडोली मोटर मार्गों से सम्बन्धित लेखा– अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि उक्त मोटर मार्गों के स्टेज–। के कार्यों के साथ स्थानीय जी0एस0बी0 सामग्री का प्रावधान किया गया, जबकि निर्देशिका के अनुसार ग्रेनुलर सब–बेस, डब्ल्यू0बी0एम0 सतह का कार्य द्वितीय चरण के कार्यों में बिटुमिन के साथ किया जाना चाहिए था। सम्पादित जी0एस0बी0 का विवरण निम्नवत् हैः–

कार्य का नाम	अन्तिम देयक के अनुसार स्थानीय जी0एस0बी0		अधिक भुगतान
	सम्पादित मात्रा (cum)	दर	
सिमडी से काण्डा मल्ला	859.40	254.09	218364.95
डुंगलीकोट से डडोली	3385.11	480.00	1624852.80
योगः–			**1843217.75**

इस प्रकार, निर्देशिका के विपरीत स्टेज–। में स्थानीय जी0एस0बी0 सम्पादित कर रु0 18.43 लाख का निरर्थक व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने अपने उत्तर में बताया कि स्टेज–1 के अन्तर्गत मार्गो में लूज स्ट्राटा एव ंदल–दली भागों हेतु जी0एस0बी0 का प्रावधान कर प्रयुक्त किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि फारमेशन कटिंग के पश्चात् ही इन समस्त कार्यों हेतु स्टेज–।। का प्रावधान है जिसमें डब्ल्यू0बी0एम0 सतह और बिटूमन की सतह बिछाने का कार्य किया जाता है ताकि मार्ग निर्माण से योजना के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हो सके। सम्बन्धित मोटर मार्गों में बिना फारमेशन कटिंग के ही जी0एस0बी0 का प्रावधान कर सम्पादित किया जाना न केवल ग्रामीण सडक मैनुअल के प्रावधानों के विपरीत था अपितु रु0 18.43 लाख का अनावश्यक दुरुपयोग था।

अतः निर्देशिका के विपरीत कार्य सम्पादित किए जाने पर रु0 18.43 लाख के निरर्थक व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या**
160 / 2015–16	1	1 एवं 2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
160 / 2015–16	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–1	कार्यालय द्वारा अद्यतन अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अद्यतन अनुपालन आख्या के अभाव में प्रस्तर यथावत रहेगा।	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2	– तदैव –	– तदैव –	

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

– शून्य –

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, बैजरों मुख्यालय सतपुली (पौडी)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–
   (i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः
   (i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री महेन्द्र सिंह यादव	अधिशासी अभियंता	14.09.2012 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, बैजरों मुख्यालय सतपुली (पौडी)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/**सा.क्षे.**